

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
8/20	इजराय	खजुरी	दवडा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कैल्या बाई		बनाम	राधाकिशन

वकील :- M. L. Choudhary **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

<p>26/20</p> <p>5/20</p> <p>7/20</p> <p>29/20</p>	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा इजराय इस न्यायालय में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार को वास्ते पालना तहरीर जारी की जावे कि यदि उक्त प्रकरण में किसी अपर कोर्ट का स्थगन आदेश न हो ता मुताबिक डिक्री पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवावे। पत्रावली दिनांक 5/8/20 को पेश हो।</p> <p><i>Handwritten signature</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p> <p><i>Handwritten signature</i> अजय शर्मा अजय शर्मा अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.9.20 को पेश हो।</p> <p><i>Handwritten signature</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p> <p><i>Handwritten signature</i> अजय शर्मा अजय शर्मा अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.10.20 को पेश हो।</p> <p><i>Handwritten signature</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
---	--	--

21/10/20

आज पीयूषीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में विनांक... 18.11.20... को पेश हो।

सी. ए.
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

जानरल
मि. को. दार. बजम
मुसरेह जेल दर

18/11/20

आज पीयूषीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में विनांक... 15.11.20... को पेश हो।

सी. ए.
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

15/11/20

पत्रावली पेश हुई। कमील डिडीदार उपस्थित। तहसीलदार से पालना रिपोर्ट प्राप्त। पुनः तहसीलदार को लिखी जावे। बस्ते पालना रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 25/11/20 को पेश हो।

25/11/20

पत्रावली पेश हुई। कमील डिडीदार उपस्थित। तहसीलदार इकड़ा को पुनः लिखी जावे। बस्ते पालना रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 10/12/20 को पेश हो।

10/12/20

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार इकड़ा से पालना रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार इकड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्राम खमुरी पर जो फालिया की जमाबंदी सन् 2074-2077 इकता सोल्ला 1) का खतिदारान् एंव अ-अ खतेदार ने अपने 2 खते की मूफि पर काश्त कल्ला किया हुआ है। वर्तमान में पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रमाण के अन्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली क्रि.स.ल. शुभार होकर बाद वाली तहसीलदार लिखित दफ्तर हो।